प्रश्न संख्या 845 के उत्तर में प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई थी । जहां किसी पूरे जिले को विशेष सहायता योजना के लिए योग्य चुन लिया गया है वहां यह योजना जिले के समस्त क्षेत्र पर लागू होती है । लेकिन जहां किसी राज्य में किसी "क्षेत्र" को इस प्रयोजन के लिये चुन लिया गया हो वहां पर यह योजना केवल ऐसे विशिष्ट क्षेत्र पर ही लागू होती है ।

Absorption of employees of Erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity in Trade Fair Authority of India

6047 SHRI SHIV NARAIN SARSONIA Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 1491 dated 3rd March 1978 regarding absorption of employees of Exhibitions and Commercial Publicity Directorate in Trade Fair Authority of India and State

(a) whether the employees of erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity will get interest on their G P F upto the date on which the final payment thereof is made to them

(b) if so when will the final payment of G P F along with interest upto date be paid to them

(c) if the interest is not to be paid up to-date what is the reason thereof

(d) when will they get the benefits accruing to them in lieu of their past Government Service and whether a specific time limit has been fixed for the finalization of their cases if not why and

(e) whether a special cell is proposed to be created for expediting the final settlement of their long standing cases without any further loss of time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (e) The benefits relating to pension gratuity G P F etc accruing to the officials of the erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity, on the basis of their past Government service had to be finalised in consultation with the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Ministry of Home Affairs (Department of Personnel) Bureau of Public Enterprises etc This time-consuming process has already been completed Necessary orders are expected to be issued shortly Under the G P Fund (C S) Rules 1960 these officials will be entitled to interest on their G P F up to the date of issue of orders It is however expected that necessary bills in respect of the claim of each official will be presented to the Accounts authorities for payment soon after the issue of orders

Since the policy issues relating to payment of G P F etc to the employees of the erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity have since been finalised it may not be necessary to create a special cell for this purpose

छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट

6048 श्री आर० एन० राकेश क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छोटे उद्योगों का बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने कम क्षमता के उत्पादन वाले उद्योगों का बढ़ावा देने का फैसला किया है किन्तु बड़ी मिलों के अनुपात में छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलों को कोई छूट नहीं दी गई है

(ख) यदि हां तो 10,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली बड़ी आटोमैटिक बोर्ड मिलों पर केवल 17 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बढ़ाने और केवल 2,000 टन उत्पादन क्षमता वाली छोटी मिलों के लिए उत्पाद शुल्क में 32 प्रतिशत वृद्धि करने के क्या कारण है और

(ग) छोटी कागज मिलों अर्थात् 2000 टन क्षमता के लिए 75 प्रतिशत, 2000 से 5000 टन क्षमता के लिए 60 प्रतिशत और 5000 से 10000 टन क्षमता के लिए 50 प्रतिशत की तरह की 3,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली छोटी ऑटोमैटिक बोर्ड मिलो के लिए शुल्क मे 75 प्रतिशत छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जिन छोटे निर्माताओ की पिछले वर्ष में निकासियां, 5 लाख रुपये की प्रथम निकासियो पर देय शुल्क से 15 लाख रुपये से अधिक नही थी, उन्हे प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने 1978 के बजट प्रस्तावो के अनुसरण मे 69 निर्दिष्ट वस्तुओ के निर्माणकर्ता छोटे एककों को छूट दी है। परन्तु आटोमैटिक मिल बोर्ड और ग्रे बोर्ड मिलो के मामले में भारत सरकार राजस्व विभाग की 16 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 70/76 के० उ० शु० द्वारा उत्पादन शुल्क से छूट की एक अलग योजना प्रदान की गयी हैं ।

(ख) प्रश्न का आशय स्पष्ट नही है । वर्तमान बजट में विशेष उत्पादन शुल्क लगाने के परिणामत, लगने योग्य मूल शुल्क के 1/20 भाग को छोड़ कर कागज और गत्ते पर शुल्क में कोई वृद्धि नही हुई है, यह शुल्क बडी और छोटी दोनो बोर्ड मिलो पर लागू होता है ।

(ग) छोटी कागज मिलो को जिन कारणो से शुल्क में ये रियायत दी गयी है वे अन्य बातो के साथ-साथ लागत संबंधी घाटे हैं जो छोटी कागज मिलें अपेक्षाकृत बडी कागज मिलो के मुकाबले उठाती है । छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलो के मामले मे, इस प्रकार के घाटे बड़ी बोर्ड मिलों के मुकाबले प्रभावी रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं ।

टाटा कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) पर करों की बकाया राशि

6049. श्री आर० पी० दासगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा कम्पनी जमशेदपुर, बिहार पर 1 मार्च, 1978 को करो की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): इस प्रश्न का सम्बन्ध संभवत टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से है, जिस का मुख्यालय जमशेदपुर में है । 1-3-1978 की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी पर 17 91 लाख रुपये की सकल मांग बकाया थी। यह मांग विवाद ग्रस्त है और अपील का निपटान होने तक इसे रोक दिया गया है ।

ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत

6050. श्री राम कंवार बेरवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दांतवाला समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार करते हुए ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियो से श्रमिक समस्याओ पर बातचीत की थी तथा इस बारे मे क्या प्रगति हुई है और यह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : चूंकि कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ नही है, इसलिए दांतवाला समिति ने ऐसे किसी संघ से बातचीत नही की। 23-2-1978 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई दांतवाला समिति की रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी के साथ सरकार को शीघ्र उपलब्ध होने की संभावना है ।